न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई

श्री विनोद कुमार मीना आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकदमा संख्या 6/2015

अर्न्तगत धारा 88,89,188 आरटी एक्ट

1. पूरन पुत्र फगुनी जाति जाटव निवासी कटारा तहसील नदबई भरतपुर

'– वादीगण

बनाम

1. श्रीचंद पुत्र मंगल
2. अंगुरी पत्नि बुद्वी
3. बच्चू
4. किशनलाल
5. अशोक
6. प्रेमवती पुत्री बुद्वी
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

–प्रतिवादीगण

उपस्थित

मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट

महावीरसिंह एडवोकेट

निर्णय दिनांक 08.7.2019

दावा वादी का मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। जिसका संक्षेप सार इस प्रकार है। आराजी खसरा संख्या 1455 रकबा 0.07,1456 रकबा 0.27 किता 2 रकबा 0.34 हैक्ट0 वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई मे स्थित है। उक्त आराजी सम्वत 2060 से पूर्व का साविक खसरा संख्या 817 रकबा 1 बी.5 बि.से बना है। उक्त आराजी के

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

साविक खसरा संख्या 817 रकबा 1 बी.5 वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई जरिये रजिस्टर्ड वयनामा 12.8.1988 को प्रतिफल राशि 10,000/–रूपये देकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता व ससुर व बाबा मंगल पुत्र दौजी जाति चमार निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर से वादी ने क्रय कर लिया था। तथा वक्त वयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 12.8.1988 को उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त कर लिया था। तभी से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता व बाबा व ससुर मंगल ने वादी का वयनामा दिनांक 12.8.1988 को कराने के बावजूद बदनीयती से राजस्व कर्मचारीयों के साथ मिलकर वादी के नाम उक्त आराजी का दाखिला खारिज दरामद खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे नही होने दी । इस कारण से वादी को दावा न्यायालय मे मजबूर होकर लाना पडा।

राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी के चले आ रहे गलत इन्द्राज से वादी के अधिकारो पर प्रतिकूल असर डालता है। अतः वादी विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 1455 रकबा 0.07,1456 रकबा 0.27 किता 2 0.34 हैक्ट0 वाके ग्राम छतरपुर पर अपने आपको खातेदार व काबिज खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता ससुर व बाबा मंगल के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 15.12.2014 को वादी को ऐलानिया धमकी दी है किम वह विवादित आराजी को किसी बैक मे रहन रखकर के रहेगा। तथा किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर उसके कब्जे से बेदखल करके रहेगा। अगर प्रतिवादी अपनी धमकी मे कामयाब हो गया तो वादी को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ती नगद से नही हो सकेगी।

आराजी खसरा संख्या 1455 रकबा 0.07,1456 रकबा 0.27 किता 2 रकबा 0.34 हैक्ट0 वाके ग्राम छतरपुर पर खातेदार व काबिज है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के ससुर व बाबा के नाम विवादित आराजी पर चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जावें। तथा इस आराजी से बेदखल न करें। तथा प्रतिवादी गण उक्त आरांजी मे मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। तथा रहनवय मुन्तकिल न करे।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2,3,6 की तलबी दिनांक 15.9.2019 की तलबी होकर प्राप्त हुई तलबी के बावजूद उपस्थित नही हुऐ । अतः उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 14.3.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता महावीरसिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी करवायी गई। जो दिनांक 9.11.2016 को तलबी होकर एडी प्राप्त हुई। अतः प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद भी एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब हेतु केई मौके दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नही किया गया। अतः जबाब बन्द कर दिया गया। इसलिए तनकीयात कायम नही की गई। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र. आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। जिसे सुनकर स्वीकार किया गया।

वादी वकील ने साक्ष्य के तौर पर शपथ पत्र 1 तथा 2 पेश किये गये। तथा दस्तावेजो मे प्रदश – 1 हाल जमाबंदी सम्वत 2067–2070, प्रदर्श– 2 नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 वाके ग्राम छतरपुर, प्रदर्श– 3 नकल वयनामा दिनांक 12.8.1988 वाके ग्राम छतरपुर पेश की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा द्वारा एक पक्षीय बहस की गई। जिसमे वादी वकील ने लिखित बहस तथा दावा के तथ्यो को दोहराया। हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 3 मौखिक pw–1, pw–2, का अवलोकन किया । वादी के अधिवक्ता द्वारा की गई एक तरफा बहस की गई। जिससे वादी वकील ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया गये पर मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्बत 2060 मे साविक खसरा संख्या 817 से वादी द्वारा बनाये गये विवादित खसरा संख्या 1455,1456 के अलावा अन्य खसरा सख्या भी बने है। वादी द्वारा यदि साविक खसरा सख्या 817 दिनांक 12.8.1988 जरिये रजि0 वयनामा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मंगल से क्रय किया गया है। जो साविक खसरा सख्या 817 से बने है। उन सभी खसरा नम्बरान पर दावा क्यों नही किया गया। वादी द्वारा स्पष्ट नही किया गया।
वादी द्वारा वयनामा दिनाक 12.8.1988 के वक्त अथवा पुर्व की जमाबंदी भी पेश नही की गई। जिससे विकेता के विक्रंय करने का अधिकार सिद्व किया जा सकता था। साथ ही वादी द्वारा क्रयशुदा भूमि का रिकार्ड में इन्द्राज न करा पाने का कोई कारण नही बताया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (छतरपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

है। अतः वाद वादी काबिले खारिज है। अतः आदेश है कि दावा वादी का खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

विनोदकुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner